

सं0सं0-7/स्वा. निदे. 02-01/2017 106(7)6

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 05-12-2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशक और प्रशासन-0001 स्वास्थ्य निदेशालय विपत्र कोड- 20-2210010010001 शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 33-01 सब्सिडी मद में कुल ₹2,43,75,800/- ( दो करोड़ तैतालीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ रू0 ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-02(7)ब दिनांक-27.04.17, 41(7)ब दिनांक-04.08.17 एवं 72(7)ब दिनांक-25.09.17 तथा स्वीकृत्यादेश संख्या-124(7) दिनांक-01.11.17 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 33-01 सब्सिडी मद में कुल ₹2,43,75,800/- ( दो करोड़ तैतालीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ रू0 ) मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरण संलग्न)

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन और प्रशासन-0001 स्वास्थ्य निदेशालय विपत्र कोड- 20-2210010010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या-26 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

5. इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6. यह मात्र आवंटन है इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. विभागीय राज्यादेश संख्या-124(7) दिनांक-01.11.17 में यथा उल्लेखित बातों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी टी0बी0नम्बर एवं तिथि के साथ निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,


(सच्चिदानंद चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव

रजी

उपबंध एवं आवंटन की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना	कुल योग	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	80000000	77000000	0	77000000	3000000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	100000000	95950000	0	95950000	4050000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	16900000	16200000	0	16200000	700000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1200000	1125000	0	1125000	75000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	580000	564000	0	564000	16000
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	820000	761000	0	761000	59000
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	500000	400000	0	400000	100000
	<b>योग-20-2210.01.001.0001.01 वेतन:-</b>	<b>200000000</b>	<b>192000000</b>	<b>0</b>	<b>192000000</b>	<b>8000000</b>
8	पुरस्कार (0001-05-01)	6000	6000	0	6000	0
9	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	1000000	0	1000000	0
10	यात्रा व्यय (0001-11-01)	400000	400000	0	400000	0
11	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	2000000	2000000	0	2000000	0
12	वाहन का इंधन एवं रख-रखाव (0001-13-02)	800000	400000	0	400000	400000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	100000	70000	0	70000	30000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	500000	500000	0	500000	0
15	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	200000	190000	0	190000	10000
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	1000	0	0	0	1000
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1000000	350000	0	350000	650000
18	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	8000000	8000000	0	8000000	0
19	सब्सिडी (0001-33-01)	25000000	0	24375800	24375800	624200
	<b>कुल योग:-</b>	<b>239007000</b>	<b>204916000</b>	<b>24375800</b>	<b>229291800</b>	<b>9715200</b>

(दो करोड़ तैतालीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ रू०) मात्र


  
सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक : 05-12-17

ज्ञापांक : 106(7)a

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7, कार्यवाह सहायक / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ लेखा शाखा को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के विशेष सचिव